

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील  
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण कं.- 320 / 12

संस्थित दिनांक- 16.08.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

जितेंद्र पुत्र सुरेश  
निवासी मातागढ मोहल्ला  
तहसील चंदेरी जिला- अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 20.02.17 को घोषित)**

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-66/192, 39/192, 3/181 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक-13.08.12 को समय 14.00 बजे के लगभग थाना चंदेरी पिछोर रोड पर बिना नंबर का ऑटो में बिना परमिट आठ सवारियां बैठाकर बिना वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं बिना डाइविंग लायसेंस के चलाया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-13.08.12 को दिन में 02.00 बजे पिछोर रोड चंदेरी पर वाहन चैकिंग चल रही थी। चैकिंग के दौरान एक बिना नंबर का ऑटो जिसमें आठ सवारियां बैठी थी, को अभियुक्त जितेंद्र पुत्र सुरेश चलाता हुआ पाया गया, जिसके संबंध में चैकिंग पूछताछ पर अभियुक्त के पास ऑटो का रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना पाया तथा अभियुक्त के पास नगरसीमा क्षेत्र में ऑटो में आठ सवारी बैठालने का परमिट भी होना नहीं पाया गया। मौके पर निरीक्षण ए0के0 पंचौली के द्वारा पंचनामा कार्यवाही की गई तथा अभियुक्त के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-66/192, 3/181 एवं 39/192 के अंतर्गत इस्तखासा क्रमांक-243/12 विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप की विशिष्टियां पढ़ कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या दिनांक-13.08.12 को समय 14.00 बजे लगभग थाना चंदेरी स्थित पिछोर रोड चंदेरी पर ऑटो वाहन को बिना परमिट के चलाया ?
2.	क्या उस समय व स्थान पर अभियुक्त ने ऑटो वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया ?
3.	क्या उस समय व स्थान पर अभियुक्त ने ऑटो वाहन को बिना डाइविंग लाइसेंस के रहते हुए चलाया ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

05— निरीक्षक ए0 के0 पंचौली अ0सा0-3 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि दिनांक-13.08.12 को वह पुलिस थाना चंदेरी में थाना प्रभारी के प्रभार में था, उक्त दिनांक को उसने पिछोर रोड पर वाहन चैकिंग के दौरान अभियुक्त को एक बिना नंबर का ऑटो में बिना परमिट के आठ सवारी बैठाये हुये पाया था तथा उक्त ऑटो का पंजीयन नहीं हुआ। इस साक्षी के अनुसार उसने मौके पर अभियुक्त से ऑटो जप्त किया था और पंचनामा प्र0पी0-1 बनाया था। प्र0पी0-1, राहुल और प्रतिपाल साक्षियों के समक्ष बनाया था।

06— ए0 के0 पंचौली अ0सा0-3 के अनुसार उसने वाहन चैकिंग में दिनांक-13.08.12 को अभियुक्त द्वारा एक बिना नंबर की ऑटो को बिना परमिट के आठ सवारी बैठाये हुये पाया गया था, परंतु इस साक्षी ने कही भी उक्त ऑटो की पहचान उसका मॉडल नंबर,

इंजन नंबर, चैसिस नंबर का उल्लेख न तो अपने पंचनामों में किया है और न ही अपने न्यायालयीन कथनों में इस संबंध में कोई कथन दिये हैं। अभियुक्त यदि ऑटो में आठ सवारी बैठा ले पाया गया था, तो उन सवारी के नाम तक पंचनामों में उल्लेखित नहीं है, न ही उनके कही हस्ताक्षर हैं।

07— ए० के० पंचौली अ० सा०—3 मौके पर अभियुक्त से ऑटो जप्त कराना बताते हैं परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ए० के० पंचौली अ० सा०—3 जिन साक्षियों के समक्ष मौके पर कार्यवाही करना बताता है, वह साक्षी राहुल चतुर्वेदी अ० सा०—1 व प्रतिपाल अ० सा०—2 मौके पर ए० के० पंचौली अ० सा०—3 द्वारा कथित कार्यवाही के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं करते। प्रतिपाल अ० सा०—2 घटना की जानकारी होने से ही इंकार करता है, वही राहुल चतुर्वेदी अ० सा०—1 अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार करता है कि वर्ष—2012 में वह थाना चंदेरी में कम्प्यूटर संबंधी कार्य करता था, जो इस साक्षी की हितबद्धता दर्शित करता है। राहुल चतुर्वेदी अ० सा०—1 अपने न्यायालयीन कथनों में पंचनामा प्र०पी०—1 पर ए० के० पंचौली अ० सा०—3 के कहने पर हस्ताक्षर करना बताता है। यह साक्षी अपने न्यायालयीन कथनों में यही स्पष्ट नहीं कर सकता कि किस वाहन की जप्ती के संबंध में उसने पंचनामा प्र०पी०—1 पर हस्ताक्षर किये थे।

08— राहुल चतुर्वेदी अ० सा०—1 अपने न्यायालयीन कथनों में कहता है कि उसे दरोगा जी ने दो पहिया वाहन के चालान के बारे में बताया था तथा उसे जानकारी नहीं है कि उसके द्वारा पंचनामों पर ऑटो के संबंध में हस्ताक्षर किये गये थे या नहीं। यह साक्षी यह भी बताने में असमर्थ है कि मौके पर अन्य साक्षी कौन था जिसने हस्ताक्षर किये थे। राहुल चतुर्वेदी अ० सा०—1 के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उसने स्वयं मौके पर न तो अभियुक्त को ऑटो में आठ सवारियां लाते हुए वाहन चैकिंग के दौरान देखा और न उसके सामने ए० के० पंचौली अ० सा०—3 ने पंचनामा कार्यवाही की। उसने मात्र ए० के० पंचौली अ० सा०—3 के कहने पर पंचनामा प्र०पी०—1 पर बिना तस्दीक के थाने का कर्मी होने के कारण हस्ताक्षर किये। अतः इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

09— जहां तक ए० के० पंचौली अ० सा०—3 के द्वारा की गई कार्यवाही का प्रश्न है, तो मौके पर अभियुक्त से कोई ऑटो जप्त किया भी गया, इस आशय का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त किस इंजन नंबर एवं चैसिस नंबर एवं मॉडल नंबर का ऑटो चला रहा था, यह भी उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है, जिससे यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में अभियुक्त घटना दिनांक को किस वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा था। यह भी अभिलेख पर स्पष्ट नहीं है, ऑटो में आठ

सवारियां कौन सी बैठी थी। अतः अभियुक्त किस वाहन में कौन सी सवारी कितनी संख्या में बैठा ले हुये वाहन चैकिंग के दौरान पाया गया, यह भी स्पष्ट करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। घटना दिनांक को अभियुक्त के पास यदि वह कोई वाहन चला रहा था तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो इस संबंध में ए0के0 पंचौली अ0 सा0-3 ने न तो न्यायालय में कोई कथन दिये है और न ही पंचनामा प्र0पी0-1 में इस बात का उल्लेख किया है।

- 10— अतः अभिलेख पर ऐसी कोई विश्वासनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियोजन घटना प्रमाणित होती हो। अभिलेख पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है, कि अभियुक्त ने दिनांक-13.08.12 को समय 14.00 बजे के लगभग थाना चंदेरी पिछोर रोड पर किसी बिना नंबर के ऑटो में बिना परमिट आठ सवारियां बैठाकर बिना वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया।
- 11— फलतः अभियुक्त **जितेन्द्र पुत्र सुरेश** के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192, 39/192, 3/181 के आरोप साबित नहीं होते हैं। अभियुक्त **जितेन्द्र पुत्र सुरेश** को आरोप साबित न होने से मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192, 39/192, 3/181 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 12— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है। धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(4)

दांडिक प्रकरण कं.- 320 / 12